न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2006/00017

मिसल नम्बर– 209/2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

चमन लाल पुत्र श्री कन्हैयालाल आहुजा मृतक जर्ये कामय मुकामानः–
पंकज, पवन पुत्र श्री चमनलाल कला, राज, पुष्पा, रचना, मंजु, शांति, गीता, सुषमा, पुत्रियां चमन लाल बिरमा बाई बेवा चमन लाल निवासी चमन होटल नयापुरा कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णयः–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक 29/8/2025

उपस्थिति–

1.सरकार पैरोकार

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि सिवायचक खाते जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के अनुसार ग्राम देवली अरब में खसरा नम्बर 1/720 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए खसरा नम्बर 4 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.21 कुल रकबा 0.74 है0 बनाये गये। तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 04, 05 व 06 को अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया गया। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.74 है0 रकबा अनाधिकृत रूप से दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 04, 05, 06 की रकबा 0.74 है भूमि वाके ग्राम देवली अरब को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 खसरा गिरदावरी संवत 2033 से 2036,

उपखण्ड अधिकारी
को.

जमाबंदी 2058 से 2061 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 04, 05 व 06 रकबा 0.74 है0 नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर घनी आबादी बसी हुई है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्लानिंग कट चुकी है तथा आबादी बसी हुयी है।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावी फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा